[illegible] बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु नं — 2/2021
27.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत ग्राम पंचायत – बुर्जा की ढाणी में आयोजित शिविर दिनांक 24.11.2021 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– बुर्जा की ढाणी में वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प– बुर्जा की ढाणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर
कैम्पः— बुर्जा की ढ़ाणी पंचायत समिति— अजीतगढ़

पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2021	2021 / 002	04.01.2021	24.11.2021

उनवान

1. रामनारायण पुत्र कालूराम उम्र— 65 साल जाति अहीर निवासी वार्ड नम्बर 11 खिरोटी मन्दरूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रतिवादी

उपस्थित—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, वादी अभिभाषक।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, प्रतिवादी नं. 1 अभिभाषक

वादपत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि वाके ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर के खाता संख्या 247 के खसरा नम्बर 2662 कुल रकबा 1.02 हैक्टर के 1 / 10 हिस्से की खातेदारी व खाता संख्या 248 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 से 1567 कुल किता 5 कुल रकबा 1.93 हैक्टर के 1 / 15 हिस्सा की खातेदारी वादी रामू पुत्र कालू के नाम अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 249 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1605, 2435 से 2440, 2440 / 2822, 2478, 2507, 2508, 2644 कुल किता 12 कुल रकबा 4.78 हैक्टर के 1 / 5 हिस्सा की खातेदारी व खाता संख्या 250 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2441 कुल रकबा 1.37 हैक्टर के 1 / 10 हिस्से की खातेदारी व खाता संख्या 251 के कृषि भूमि [illegible] 0.50 हैक्टर के 1 / 5 हिस्से की खातेदारी वादी रामू पुत्र कालूराम के नाम [illegible] व [illegible] संख्या 262 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2413 कुल रकबा 0.76 [illegible] रामूराम पुत्र कालूराम के नाम से अंकित है। उक्त भूमियॉ वादी की पैत्रृक भूमियां है। जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा हे परन्तु विरासत के नामान्तकरण से वादी का नाम रामनारायण पुत्र कालूराम के स्थान पर रामू पुत्र कालू एंव रामू पुत्र कालूराम एंव रामूराम पुत्र कालूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

24/11/21

गलत दर्ज कर दिया गया है। वादी के पिता कालूराम के रामू एंव रामूराम नाम का कोई पुत्र संतान नहीं है। वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजात् आदि में भी वादी का सही नाम रामनारायण पुत्र कालूराम दर्ज है जो सही एंव सत्य है। वादी को उक्त गलत नाम से सख्त हक तलफी है एंव वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रामू पुत्र कालूराम, रामूराम पुत्र कालूराम के स्थान पर अपना नाम रामनारायण पुत्र कालूराम दुरूस्त करवाने का निवेदन वकील वादी के द्वारा किया गया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पंत्राक 3378/भू.अ./2021 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। साक्ष्य वादी में वादी रामनारायण व वादी गवाह में मनोहर यादव का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कियें। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एंव साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र कालू व रामूराम पुत्र कालूराम व रामूराम पुत्र कालू दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो गलत दर्ज है। जबकि वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का सही नाम रामनारायण पुत्र कालूराम नाम दर्ज है। जो सही है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु यह दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना प्रकट होता है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांकित 07.09.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों में वादी का वास्तविक नाम रामनारायण पुत्र कालूराम सही है जो राजस्व रिकार्ड में सहवन से रामू पुत्र कालूराम व रामूराम पुत्र कालूराम गलत दर्ज होना बताया है। उक्त गलत नाम के स्थान पर वादी का सही नाम रामनारायण पुत्र कालूराम के नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट व वादी गवाह में प्रस्तुत शपथ पत्र से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित

24/11/21

खाता संख्या 247 के खसरा नम्बर 2862 कुल रकबा 1.02 हैक्टर के 1/10 हिस्से की खातेदारी व खाता संख्या 248 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 से 1567 कुल किता 5 कुल रकबा 1.93 हैक्टर के 1/15 हिस्से की खातेदारी वादी रामू पुत्र कालू के नाम व खाता संख्या 249 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1605, 2435 से 2440, 2440/2822, 2478, 2507, 2508, 2644 कुल किता 12 कुल रकबा 4.78 हैक्टर के 1/5 हिस्से की खातेदारी में दर्ज व खाता संख्या 250 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2441 कुल रकबा 1.37 हैक्टर के 1/10 हिस्से की खातेदारी में दर्ज व खाता संख्या 251 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2097 रकबा 0.50 हैक्टर के 1/5 हिस्से की खातेदारी में दर्ज वादी का नाम रामू पुत्र कालूराम व खाता संख्या 262 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2413 कुल रकबा 0.76 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज वादी का नाम रामूराम पुत्र कालूराम के स्थान पर रामनारायण पुत्र कालूराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

24/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— बुर्जा की ढ़ाणी

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत— बुर्जा की ढ़ाणी के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

24/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— बुर्जा की ढ़ाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.01 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested